G.S.R No. 554

(2)

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct recruitment.	Not applicable	Departmental Promotion Committee for considering confirmation of direct recruits: (1) Professor of Paediatrics —Chairman (2) Deputy Medical Superintendent, —Member (3) Administrative Officer —Member (4) Specialist in Grade I —Member (5) A Coopted Officer to represent Scheduled Castes and Scheduled Tribes. —Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
2. Occupational Therapist.	Two	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 455-15-560-EB-20-700.	Not applicable	Between 21—28 years (Relaxable for Government Servants upto 35 years.) Note : The crucial date for determining the age limit mentioned in column 6 of the Recruitment Rules will in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep). In respect of posts, the appointments to which are made through the employment exchanges the crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	(i) Degree or Diploma in Occupational Therapy of a recognised University/Institution or equivalent. (ii) One year's experience in Occupational Therapy. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

सत्यापित

10-10-16

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय

अनुसूचि

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. भौतिक चिकित्सक	पांच	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	455-15-560-द० रो०-20-700 रुपये	लागू नहीं होता	21 से 28 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिलनीय) नोट :—भर्ती नियम के कालम 6 में उल्लिखित पदोंपर भर्ती करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार की आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । जो पद रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरे जाते हैं उनके बारें में उम्मीदवारों की आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों को उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिए कहा गया हो ।	1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था की भौतिक चिकित्सा में डिग्री अथवा डिप्लोमा या इसके समतुल्य अर्हता । 2. भौतिक चिकित्सा में एक वर्ष का अनुभव । अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती हैं जबकि चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि इनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेगी ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को स्थायी करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति 1. बाल चिकित्सा के प्रोफेसर —अध्यक्ष 2. उप चिकित्सा अधीक्षक —सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य 4. विशेषज्ञ ग्रेड I —सदस्य 5. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सहयोजित अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

सत्यापित
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54